

प्रेषक,

सुबोध वार्ष्णेय,  
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/  
पॉक्सो जज कोर्ट संख्या-03, बदायूँ।

सेवा में,

महानिबंधक,  
माननीय उच्च न्यायालय,  
इलाहाबाद।

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश,  
बदायूँ।

विषय : पूर्व में कयशुदा प्लाट के अंश भाग में निर्माण कराने के लिए बैंक ऋण के सम्बन्ध में सूचना।

महोदय,

सादर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा स्वयं व पत्नी के नाम दिनांक 16-10-2017 को एस.जे.पी. ग्लोबल लि0 रजि0 कम्पनी से एक आवासीय प्लॉट संख्या ए-58 एरिया 296.94 वर्गमीटर राधा गुलमोहर गोवर्धन रोड, मथुरा धनराशि 31,70,000/- रूपये में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र कय किया गया था। जिसकी सूचना माननीय उच्च न्यायालय को पत्रांक 646/I सोनभद्र दिनांक 25-11-2017 से विहित प्रारूप में प्रेषित की जा चुकी है तथा पाश्चवर्ती प्रापटी स्टेटमेंट में भी विवरण दिया जा रहा है।

उक्त प्लाट कय करते समय भारतीय स्टेट बैंक, शाखा रैस्मेक मथुरा से अंकन 20,50,000/- रूपए का गृह ऋण खाता संख्या 37180773402 दिनांक 16-10-2017 को लिया गया था जो अंकन 25,700/- प्रतिमाह की 120 किस्तों में अदा किया जाना है। बैंक से लिए गए ऋण की शर्तों के अनुसार प्लाट कय करने के 5 वर्षों के अंदर भवन निर्माण किया जाना आवश्यक होने के कारण प्रार्थी द्वारा मथुरा विकास प्राधिकरण से नक्शा स्वीकृत कराने के उपरांत प्लाट में आंशिक निर्माण भूतल पर 79.83 वर्गमीटर में कराने हेतु पुनः भारतीय स्टेट बैंक, शाखा रैस्मेक मथुरा से अतिरिक्त ऋण हेतु आवेदन किया गया। बैंक द्वारा पूर्व ऋण खाते को समयोजित कर अंकन 6,30,000/- रूपए का अतिरिक्त ऋण दिनांक 10-08-2021 को स्वीकार कर अंकन 21,00,000/- रूपए का नया होम लोन खाता संख्या 40354974529 अंकन 14,827/- रूपए की मासिक किस्तों से 14 वर्ष के लिए प्रदत्त किया गया है।

सूचना माननीय महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

भवदीय,

(सुबोध वार्ष्णेय)

दिनांक : 25-11-2021

अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/  
पॉक्सो जज कोर्ट संख्या-03, बदायूँ।

HC Id no – U.P.6302